

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 4689 /22-2, मुरादाबाद, फरवरी- 09, 2016  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद रामपुर में मै0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 बरेली द्वारा ग्राम रौरा कलां तहसील मिलक के गाटा संख्या-403 बिलासपुर-मिलक (एम0डी0आर0 नम्बर-33) कि0मी0 31.709 की दांयी पटरी पर पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.0589 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-1588/11सी, लखनऊ, दिनांक 08-02-2016  
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में मुरादाबाद वृत्त के नियंत्रणाधीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव में लगायी गयी ऑनलाइन ई0डी0एस0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण को फार्म-2 को दिनांक 09-02-2016 को ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। आपके द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण प्रभागीय निदेशक, रामपुर ने अपने पत्रांक-1557/14-1, दिनांक 22-01-2016 जो आपको सीधे भेज दिया गया था एवं पत्रांक-1661/14-1, दिनांक 08-02-2016 के द्वारा आपत्तियों का निस्तारण कर किया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग रामपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(कमलेश कुमार)

(कमलेश कुमार)  
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- /22-2, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग रामपुर को उनके पत्रांक 1661/14-1, दिनांक 08-02-2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।